संख्या-66/2016/वे0आ0-2-1443/दस-04(एम)/2016

प्रेषक,

श्री अजय अग्रवाल,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/ बेसिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि/समाज कल्याण/विकलॉग कल्याण/ अल्प संख्यक कल्याण/गृह एवं कारागार विभाग/ सिंचाई विभाग/ पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/कृषि/समाज कल्याण/विकलॉग कल्याण/अल्प संख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।

(4) महानिदेशक, कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

(5) प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्त्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः 20 दिसम्बर, 2016**

विषयः- वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-3 में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0 तथा आई0सी0ए0आर0 के वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिये वेतन समिति का गठन संकल्प संख्या-38/2016-वे0आ0-2-876/दस-01(एम)/2016

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

दिनांक 11 अगस्त 2016 द्वारा किया गया। उक्त समिति द्वारा अपना प्रथम प्रतिवेदन शासन को दिनांक 07 दिसम्बर 2016 को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रतिवेदन के भाग-3 की संस्तुतियों को सम्यक् विचारोपरान्त संकल्प संख्या-62/2016/ वे0आ0-2-2643/दस-04(एम)/2016 दिनांक 16 सितम्बर, 2016 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2. उपर्युक्त संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0 तथा आई0सी0ए0आर0 के वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी 2016 अथवा सम्बन्धित के विकल्प की तिथि से संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उपर्युक्त विकल्प, दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पश्चात पडने वाली वेतन वृद्धि एवं इस शासनादेश की निर्गत होने की तिथि तक प्राप्त पदोन्नति की तिथि तथा वित्तीय स्तरोन्नयन होने की तिथि से भी दिया जा सकेगा।

3. शिक्षा विभाग में नियत वेतन रू0 7300 के शिक्षकों के लिये दिनांक 01 जनवरी 2016 से रू0 18770/- नियत वेतन निर्धारित किया जायेगा।

4. इस शासनादेश के साथ संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में पुनरीक्षित वेतन का लाभ ऐसे शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होगा, जो समयमान वेतनमान की व्यवस्था में चयन वेतनमान/प्रोन्नति वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित सेवा अवधि/शर्तों की पूर्ति पर वैयक्तिक रूप से उच्च ग्रेड वेतन दिनांक 01 जनवरी 2016 अथवा किसी अनुवर्ती तिथि, जिससे पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स को सम्बन्धित द्वारा चुने जाने का विकल्प दिया गया हो, को प्राप्त कर रहे थे।

5. पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण, संशोधित दरों पर मॅहगाई भत्ते की अनुमन्यता सम्बन्धी आदेश अलग से जारी किये जायेंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

6. राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0 तथा आई0सी0ए0आर0 के वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अनुमन्य हो रहे अन्य भत्ते, विशेष वेतन/ वैयक्तिक वेतन एवं सुविधायें (मॅहगाई भत्ते को छोड़कर) वर्तमान में किसी ग्रेड वेतन के लिये जिस दर पर अनुमन्य हैं, उस ग्रेड वेतन के लिये अनुमन्य पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में भी उसी दर पर यथावत देय रहेगी।

7. ऐसे शैक्षिक पद, जिन पर चयन वेतनमान/प्रोन्नत वेतनमान की व्यवस्था लागू है, के लिये पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में उक्त व्यवस्था यथावत् लागू रहेगी।

8. सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये वर्तमान में लागू ए0सी0पी0 की व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में इस संशोधन के साथ देय रहेगी कि इसकी अनुमन्यता हेतु वर्तमान में प्रभावी ''सन्तोषजनक सेवाओं'' के मापदण्ड के स्थान पर संशोधित मापदण्ड ''बहुत अच्छा'' (Very Good) इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से निर्धारित माना जायेगा, शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

9. ऐसे पद/संवर्ग, जिनके वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान का उच्चीकरण/ संशोधन दिनांक 01 जनवरी 2016 के बाद और इस शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक हुआ है, के पदधारकों को यह विकल्प होगा कि वे या तो दिनांक 01 जनवरी 2016 को अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में पुनरीक्षित वेतन का चयन करें अथवा उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान के दिनांक से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेने का चयन कर लें।

10. इस शासनादेश द्वारा की जा रही व्यवस्था यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0 तथा आई0सी0ए0आर0 के वेतनमानों से आच्छादित पदों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों, स्थानीय निकायों (जिला पंचायत, जल संस्थान एवं विकास प्राधिकरण सहित), स्वशासी संस्थाओं तथा सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू नहीं होगी, उनके लिए अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

11. इस शासनादेश द्वारा राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0 तथा आई0सी0ए0आर0 के वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, राज्य विश्वविद्यालयों एवं कृषि विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान उपरोक्त प्रस्तरों के अधीन संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित माने जायेंगे और इनके लिये शासन के विभिन्न विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव

<u>संख्या-66/2016/वे0आ0-2-1443(1)/दस-04(एम)/2016, तद्‌दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. वित्त अधिकारी/कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय/ प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक/समस्त मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षकायें, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. निरीक्षक संस्कृत पाठशालायें, अरबी-फारसी मदरसा, उ0प्र0 इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

13. समस्त सहायक निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, उ0प्र0 इलाहाबाद।

14. उ0प्र0 के समस्त गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य।

15. प्रधानाचार्य, मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद।

16. प्रधानाचार्य, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर।

17. कुल सचिव, दयालबाग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय), दयालबाग, आगरा-282005।

18. रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर।

19. निदेशक, के0एन0 इंस्टीट्यूट आफ साइंस एण्ड टेक्नोलाजी, सुल्तानपुर।

20. निदेशक, इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, लखनऊ।

21. निदेशक, एच0बी0टी0आई0 कानुपर।

22. प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 के अधीन सभी सहायता प्राप्त बहुधन्धी संस्थाओं के प्रधानाचार्य।

23. प्रधानाचार्य, डी0ए0वी0 (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, कानपुर।

24. प्रधानाचार्य, क्रिश्चियन (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ।

25. प्रधानाचार्य, किशोरी रमण (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, मथुरा।

26. प्रधानाचार्य, के0पी0 (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद।

27. प्रधानाचार्य, (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, सकलडीहा, वाराणसी।

28. व्यवस्थापक, सेवा भारतीय अध्यापन मन्दिर, सेवापुरी, वाराणसी।

29. पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर।

30. संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।

31. चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।

32. नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद।

33. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

मनोज कुमार जोशी
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-66/2016/वे0आ-2-1443/दस-04(एम)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर 2016, का संलग्नक।

वेतन बैण्ड	वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200					वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800				वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100		
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800	4200	4600	4800	5400	5400	6600	7600
लेवल	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	18000	19900	21700	25500	29200	35400	44900	47600	53100	56100	67700	78800
2	18500	20500	22400	26300	30100	36500	46200	49000	54700	57800	69700	81200
3	19100	21100	23100	27100	31000	37600	47600	50500	56300	59500	71800	83600
4	19700	21700	23800	27900	31900	38700	49000	52000	58000	61300	74000	86100
5	20300	22400	24500	28700	32900	39900	50500	53600	59700	63100	76200	88700
6	20900	23100	25200	29600	33900	41100	52000	55200	61500	65000	78500	91400
7	21500	23800	26000	30500	34900	42300	53600	56900	63300	67000	80900	94100
8	22100	24500	26800	31400	35900	43600	55200	58600	65200	69000	83300	96900
9	22800	25200	27600	32300	37000	44900	56900	60400	67200	71100	85800	99800
10	23500	26000	28400	33300	38100	46200	58600	62200	69200	73200	88400	102800
11	24200	26800	29300	34300	39200	47600	60400	64100	71300	75400	91100	105900
12	24900	27600	30200	35300	40400	49000	62200	66000	73400	77700	93800	109100
13	25600	28400	31100	36400	41600	50500	64100	68000	75600	80000	96600	112400
14	26400	29300	32000	37500	42800	52000	66000	70000	77900	82400	99500	115800
15	27200	30200	33000	38600	44100	53600	68000	72100	80200	84900	102500	119300
16	28000	31100	34000	39800	45400	55200	70000	74300	82600	87400	105600	122900
17	28800	32000	35000	41000	46800	56900	72100	76500	85100	90000	108800	126600
18	29700	33000	36100	42200	48200	58600	74300	78800	87700	92700	112100	130400
19	30600	34000	37200	43500	49600	60400	76500	81200	90300	95500	115500	134300
20	31500	35000	38300	44800	51100	62200	78800	83600	93000	98400	119000	138300
21	32400	36100	39400	46100	52600	64100	81200	86100	95800	101400	122600	142400
22	33400	37200	40600	47500	54200	66000	83600	88700	98700	104400	126300	146700
23	34400	38300	41800	48900	55800	68000	86100	91400	101700	107500	130100	151100
24	35400	39400	43100	50400	57500	70000	88700	94100	104800	110700	134000	155600
25	36500	40600	44400	51900	59200	72100	91400	96900	107900	114000	138000	160300
26	37600	41800	45700	53500	61000	74300	94100	99800	111100	117400	142100	165100
27	38700	43100	47100	55100	62800	76500	96900	102800	114400	120900	146400	170100
28	39900	44400	48500	56800	64700	78800	99800	105900	117800	124500	150800	175200
29	41100	45700	50000	58500	66600	81200	102800	109100	121300	128200	155300	180500
30	42300	47100	51500	60300	68600	83600	105900	112400	124900	132000	160000	185900
31	43600	48500	53000	62100	70700	86100	109100	115800	128600	136000	164800	191500
32	44900	50000	54600	64000	72800	88700	112400	119300	132500	140100	169700	197200
33	46200	51500	56200	65900	75000	91400	115800	122900	136500	144300	174800	203100
34	47600	53000	57900	67900	77300	94100	119300	126600	140600	148600	180000	209200
35	49000	54600	59600	69900	79600	96900	122900	130400	144800	153100	185400	-
36	50500	56200	61400	72000	82000	99800	126600	134300	149100	157700	191000	-
37	52000	57900	63200	74200	84500	102800	130400	138300	153600	162400	196700	
38	53600	59600	65100	76400	87000	105900	134300	142400	158200	167300	202600	-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

39	55200	61400	67100	78700	89600	109100	138300	146700	162900	172300	208700	-
40	56900	63200	69100	81100	92300	112400	142400	151100	167800	177500	-	-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।